पत्रांक–10 / स्था0 व्यय आवं0–35 / 2024–25 – 168/3110

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बंदोबस्त कार्यालय, राँची एवं दुमका।

राँची, दिनांक– 19-03-2025

विषय :– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व, लघु शीर्ष–102–सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्य, उपशीर्ष–15–सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यों का पुनरीक्षण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में इकाईवार कुल ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:–

क्र0	इकाई / जिला	डी0डी0ओ0 कोड	मजदूरी	देशीय यात्रा व्यय	विधि प्रभार	कुल
1	राँची	RNCLDR 010	0	50000	50000	100000
2	दुमका	DMKLDR 001	100000	0	50000	150000
	कुल		100000	50000	100000	250000

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन बंदोबस्त कार्यालय के डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–322 / वि., दिनांक–28.01.2002, पत्रांक–1800 / वि., दिनांक–15.07.2003, पत्रांक–257 / बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

3. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरूद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह / अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

क0पृ0उ0

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. राशि की निकासी से संबंधित व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।

8. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

9. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

Shree 18/3

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 168/31/ग राँची, दिनांक– 19-03-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त एवं जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची एवं दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shree 18/3/25

सरकार के सचिव।